भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

13.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1716 का उत्तर

दिव्यांगजनों के लिए रेल परिवहन को सुगम्य बनाना

1716. श्रीमती राजाथी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से सूचना प्रणालियों, स्टेशनों, प्लेटफार्मों तथा रेल डिब्बों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने सहित रेलवे स्टेशनों तथा वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं की सुगमता से संबंधित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान में शत-प्रतिशत दिव्यांगता एवं वृद्धजन-अनुकूल स्टेशनों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) वृद्धजनों के लिए रियायतों को बहाल करने का परामर्श देने वाली रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी प्रमुख जंक्शन स्टेशनों पर वृद्धजनों के लिए बैटरी संचालित गाड़ियों (ई-रिक्शा) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारत सरकार के "**सुगम्य भारत मिशन**" या 'एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन' के एक भाग के रूप में, भारतीय रेल अपने रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, "भिन्न रूप से सक्षम दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों की भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों तक पहुंच और स्टेशनों पर इनकी सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश" परिपत्रित किए गए हैं तथा इन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इन दिशानिर्दोशों में दिव्यांगजनों की सुगमता के लिए सूचना प्रणाली सुगम्यता, स्टेशन सुगम्यता, प्लेटफार्म सुगम्यता और इन ट्रेन कोच सुगम्यता आदि जैसे विभिन्न पहलू शामिल किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं जैसे प्रवेश रैंप, सुलभ पार्किंग, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर/सहायता बूथ, शौचालय, पीने के पानी के बूथ, रैंप/लिफ्ट की सुविधा सहित भूमिगत पैदल पार पथ/ऊपरी पैदल पुल और दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों हेतु ब्रेल संकेतकों सहित मानक संकेतक और स्पर्शनीय पथ आदि शामिल हैं एवं इन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है।

भारतीय रेल के लिए ये सुलभता दिशानिर्देश आधुनिक दृष्टिकोण और सार्वभौमिक डिज़ाइन के सिद्धांत पर आधारित हैं और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा निर्देशित “औचित्यपूर्ण सुविधा” के तर्क के अनुरूप हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकता के अनुसार, पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन शुरू किए जाते हैं। स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/ आधुनिकीकरण स्टेशन की श्रेणी/स्थिति/संभाले गए यातायात आदि के आधार पर किया जाता है।

भारतीय रेल में लिंके हाफमैन बुश (एलएचबी) और सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ) सवारी डिब्बा वाली लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अंतिम वाहन एलएसएलआरडी/एसएलआरडी (द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह-गार्ड वैन और दिव्यांगजन अनुकूल कम्पार्टमेंट) में दिव्यांगजनों के लिए एक अलग कम्पार्टमेंट की सुविधा पहले से ही दी गई है। इन सवारी डिब्बों में चौड़े प्रवेश द्वार, चौड़ी बर्थ, चौड़े कम्पार्टमेंट, चौड़े दरवाजों के साथ बड़ा शौचालय, व्हील चेयर पार्किंग क्षेत्र आदि होते हैं। शौचालयों के अंदर, सहारे के लिए साइड की दीवारों पर अतिरिक्त ग्रैब रेल और उपयुक्त ऊंचाई पर वॉश बेसिन और दर्पण भी उपलब्ध होते हैं। भारतीय रेल प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस गाड़ी में इस प्रकार का कम-से-कम एक सवारी डिब्बा लगाने का भी प्रयास करती है।

इसके अलावा, दृष्टिहीन यात्रियों की सुविधा के लिए, सभी नवनिर्मित सवारी डिब्बों में समेकित ब्रेल साइनेज, अर्थात ब्रेल लिपियों में संकेत बोर्ड भी प्रदान किए गए हैं। साथ ही, मौजूदा सवारी डिब्बों में इसका रेट्रो-फिटमेंट कार्य भी चरणबद्ध तरीके से जारी है।

वंदे भारत ट्रेनसेट को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। वंदे भारत ट्रेनसेट के पहले और अंतिम सवारी डिब्बे में व्हीलचेयर के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिनमें चौड़ा प्रवेश द्वार, पार्किंग व्यवस्था और आसानी से गतिशीलता के लिए पर्याप्त स्थान शामिल है। इन सवारी डिब्बों के शौचालय भी दिव्यांगजन अनुकूल हैं, जिनमें पकड़ने के लिए अतिरिक्त हैंडल, अधिक जगह आदि जैसी सुविधाएँ हैं।

वंदे भारत चेयर कार रेलगाड़ियों के पहले और आखिरी सवारी डिब्बे और अमृत भारत के सामान सह दिव्यांगजन सवारी डिब्बे में कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों को सवारी डिब्बे में आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए मॉड्यूलर रैंप की सुविधा दी गई है ।

व्हीलचेयर रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के परिचारकों को उन्हें रेलगाड़ियों तक लाने और ले जाने के लिए निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। बहरहाल, जब परिचारक उपलब्ध न हों, तब दिव्यांगजन आदि को लाने-ले जाने के लिए पूर्व निर्धारित मामूली दर पर लाइसेंसप्राप्त कुली (सहायक) की सहायता ली जा सकती है। वर्तमान में, भारतीय रेल में 5868 स्टेशनों पर व्हीलचेयर उपलब्ध हैं।

दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, रोगी यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को उचित वरीयता के साथ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बैटरी संचालित वाहन (बीओवी) उपलब्ध कराए जाते हैं। यह सुविधा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व/प्रायोजन के माध्यम से 'निःशुल्क' और सेवा प्रदाता के माध्यम से सशुल्क प्रदान की जाती है।

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणों में कार्यान्वयन करना शामिल हैं। मास्टर प्लान बनाने में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रेलवे स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
- रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों भागों से एकीकरण
- रेलवे स्टेशन इमारत में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठक व्यवस्था, वाटर-बूथों में सुधार

- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पुल/एयर कॉन्कोर्स की व्यवस्था
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैम्प की व्यवस्था
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर की व्यवस्था
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों का एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, भूसुदर्शनीकरण आदि की व्यवस्था।

इस योजना में आवश्यकतानुसार चरणबद्ध रूप से और यथा व्यवहार्य दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधानों; गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और रेलवे स्टेशन पर दीर्घावधि में सिटी सेन्टरों के निर्माण की संकल्पना भी की गई है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। अभी तक, 172 रेलवे स्टेशनों पर निर्माण-कार्य पूरे हो चुके हैं। इन रेलवे स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

अलनावर, अंब अंदौरा, अंबिकापुर, आमगांव, आनंदपुर साहिब, अनारा, अयोध्या धाम, बादामी, बागलकोट, बैजनाथ पपरोला, बलरामपुर, बंतावाला, बाराभूम, बारामती, बरेली सिटी, बारीपदा, बाड़मेर, बरपाली, बेगमपेट, ब्योहारी, भानुप्रतापपुर, भिलाई, भिण्ड, बिजनौर, बिमलगढ़, बोम्मिडी, बूंदी, चंदा फोर्ट, चालक्कुडि, चंगनास्सेरी, चेन्नै पार्क, चिदंबरम, चिंचपोकली, चिन्नसेलम, चिरयिनकीष़, कटक, डाकोर, डेरोल, देशनोक, देवलाली, धारवाड़, धुले, डोंगरगढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतेहपुर शेखावाटी, गडग, गंगापुर सिटी, गोड्डा, गोधरा जंक्शन, गोगामेरी, गोकक रोड, गोला गोकर्णनाथ, गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंद गढ़, गोविंदपुरी, गोविंदपुर रोड, हफिजपेट, हैबरगांव, हल्दिया, हापा, हरपालपुर, हाथरस सिटी, होडल, ईदगाह आगरा जंक्शन, इज्जतनगर, जैसलमेर, जाम जोधपुर, जाम वनथली, जयचण्डी पहाड़, जुन्नार देव, काकीनाडा टाउन, कल्याणी घोषपारा, कामाख्यागुड़ी, कनालुस जंक्शन, कराईकुडी जंक्शन, करमसद, करीमनगर, कटनी साउथ, केडगांव, खैरथल, खंभालिया, खलीलाबाद, कोप्पल, कोसंबा जंक्शन, कुलितुरई, कुट्टीपुरम, लासलगांव, लिम्बडी, लोहरदगा, लोणंद जंक्शन, माहे, महुवा, मैलानी, मंडल गढ़, मंडावर महवा रोड, मधुपुर, मनापराई, मंडी डबवाली, मंगलागिरी, मन्नारगुडी, माटुंगा, एम.सी.एस. छत्तरपुर, मीठापुर, मोरप्पुर, मोरबी, मुक्तसर, मुनिराबाद, मूरी जंक्शन, मुर्तिजापुर जंक्शन, नैनपुर जंक्शन, नंदुरा, नर्मदापुरम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, ओखा, ओरछा, पालीताणा, पानागढ़, पनकी धाम, परेल, परलाखेमुंडी, पीरपैंती, पिस्का, पुखरायां, पोलाची जंक्शन, पोलूर, पोरबंदर, राजगढ़, राजमहल, राजुला जंक्शन, रामघाट हाल्ट, रायनपाडु, सहारनपुर जंक्शन, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, साहेबगंज, समखियाली, समलपट्टी, सांची, शंकरपुर, सावदा, सिवनी, शहद, शाजापुर, शोलावंदन, षोरणूर जंक्शन, श्रीधाम, सिद्धार्थ नगर, सीहोर जंक्शन, सिउरी, श्री बाला ब्रह्मेश्वर जोगुलम्बा, श्रीरंगम, श्रीविल्लिपुत्तूर, श्रीविल्लिपुत्तूर, सेंट थॉमस माउंट, सुल्लुरपेटा, सुरैमंपुर, स्वामीनारायण छपिया, तालचेर, तामलुक, थावे, थिरुवरूर जंक्शन, तिरुवन्नामलाई, टूनि, उझानी, उरकुरा, उत्राण, वडकरा, वडाला रोड, विदिशा, वृद्धाचलम जंक्शन, वडक्कांचेरि, वारंगल।

अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं, और इनमें से कुछ रेलवे स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:

- **तिरुपति स्टेशन**: नए द्वितीय प्रवेश (दक्षिण दिशा) स्टेशन इमारत और एयर कॉनकोर्स के संरचनात्मक कार्य पूरे हो हैं। नए मुख्य प्रवेश (उत्तर दिशा) स्टेशन इमारत के संरचनात्मक कार्य, दक्षिण दिशा स्टेशन इमारत में परिष्करण कार्य, एयर कॉनकोर्स, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर, लिफ्ट और एस्केलेटर के कार्य शुरू किए गए हैं।
- **नेल्लोर स्टेशन**: दोनों तरफ स्टेशन इमारतों और एयर कॉनकोर्स के संरचनात्मक कार्य पूरे हो गए हैं। सबवे विस्तार, मलशोधन संयंत्र निर्माण, शिरोपरि जल टैंक और स्टेशन इमारतों एवं एयर कॉनकोर्स के परिष्करण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- **पुरी स्टेशन**: नई स्टेशन इमारत का संरचनात्मक कार्य पूरा हो गया है। परिचलन क्षेत्र के विकास और नई स्टेशन इमारत के परिष्करण कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
- **कोटा स्टेशन**: स्टेशन पर अग्र प्रस्थान सदन, अग्र आगमन सदन, पिछली तरफ की स्टेशन इमारत के संरचनात्मक कार्य पूरे गए हैं। नई स्टेशन इमारत परिष्करण, एयर कॉनकोर्स निर्माण, पूर्ण छत कार्य, प्लेटफार्म नवीकरण और परिचलन क्षेत्र विकास के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- **भुवनेश्वर स्टेशन**: पश्चिम और पूर्वी दिशा की स्टेशन इमारत का संरचनात्मक कार्य, एयर कॉनकोर्स का संरचनात्मक कार्य, मलशोधन संयंत्र और भूमिगत सम्प टैंक के कार्य पूरे हो गए हैं। उत्थापित ड्राइववे, ऊपरी पैदल पुल के विस्तार, प्लेटफॉर्म नवीकरण, लिफ्ट, एस्केलेटर के कार्य एवं परिष्करण कार्य शुरू किए गए हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल स्वरूप का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा अंतर्ग्रस्त होती है और इसके लिए दमकल विभाग की स्वीकृति, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) अतिलंघनों को स्थानांतरित करके, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों के परिचालन, रेलपथ एवं उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के नजदीक किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस चरण में किसी समय सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता है।

इसके अलावा, अमृत भारत स्टेशन योजना सहित रेलवे स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या रेलवे स्टेशन-वार या राज्य-वार। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 12,120 करोड़ रुपए का निधि आवंटन किया गया है और अभी तक (दिसंबर, 2025 तक) 9,660 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2023-24 में यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यह राशि रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसतन 45% की रियायत के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट की कीमत केवल 55 रुपए होगी। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, दिव्यांगजनों की 4 कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और छात्रों की 8 कोटियों जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी से अतिरिक्त रियायतें जारी रखी गई हैं।

******